कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 10/07/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 09.07.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. स्वाट/सर्विलांस व थाना नंदगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07/08.07.2024 की रात्रि में कुसुम्हीकलाँ खिलवा में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकाण्ड का 24 घण्टे के अंदर सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले बाल अपचारी को हिरासत में लेकर उसकी निशादेही पर आलाकत्ल बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा के निकट पर्यवेक्षण में थाना नंदगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2024 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 का सफल अनावरण किया गया तथा घटना कारित करने वाले बाल अपचारी को नियमानुसार हिरासत में लेकर उसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल(धारदार खुर्पा) को बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.07.2024 को वादी मुकदमा श्री राम प्रकाश बिन्द द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई कि मेरे छोटे भाई मुंशी बिन्द व उसकी पत्नी तथा उसके लड़के की रात्रि में सोते समय गाँव के राधे बिन्द व उसके सहयोगियों द्वारा हत्या कर दी गई है । इस सनसनीखेज घटना के अनावरण के सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगण द्वारा, स्वाट सर्विलांस व थाना नंदगंज पुलिस को विशेष रूप से निर्देशित किया गया था। उक्त घटना का संयुक्त टीमों द्वारा स्थानीय अभिसूचना, विभिन्न लोगों से पूछताछ एवं परिस्थितिजन साक्ष्यों के आधार पर 24 घण्टे के अंदर सफल अनावरण कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछः- पूछताछ पर बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि मैं अपने गाँव की एक लड़की से करीब 02 साल से दिलों जान से प्यार करता था और उससे शादी करने के लिए तैयार था। लड़की भी मुझसे बेहद प्यार करती थी और वह भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरे माँ-बाप व मेरा भाई मुझे लड़की से शादी न करने के लिए बराबर दबाव बनाते थे। दिनांक 06.07.2024 को भी उन लोगों द्वारा मुझे मारा-पीटा गया और मेरे मोबाईल को तोड़ दिया गया । तभी से मैं कुण्ठित था और इन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए मन बना लिया था और 07.07.2024 को मैंने सोते समय पहले पिता, फिर माता, फिर भाई की गला काटकर हत्या कर दिया।

<u>हिरासत में लिए गये बाल अपचारी का विवरण-</u> बाल अपचारी । (मृतकों का पुत्र/भाई)
<u>बरामदगी-</u> घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (धारदार खुर्पा)

<u>02. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '</u>

दिनांक 09.07.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सुहवल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/19 धारा 376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त 01. प्रमोद यादव पुत्र बिहारी निवासी भरवलिया पोस्ट सरहुला थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास तथा 30,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर